मण्डलीय समीक्षा बैठक

संख्या-12/2020/408/31-2020-47/2013

प्रेषक,

कुमार कमलेश,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, लखनऊः दिनांकः 16 जून, 2020

विषयः-मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में विकास कार्यों, विशेष रूप से निर्माण से सम्बन्धित कार्यों की प्रस्तावित मण्डलीय समीक्षा बैठकें।

महोदय,

उपुर्यक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में लोक भवन स्थित सभा कक्ष से मण्डलीय समीक्षा बैठकें आयोजित की जानी प्रस्तावित हैं। मण्डलीय समीक्षा बैठकों हेतु एजेण्डा बिन्दु संलग्न हैं। मण्डलीय समीक्षा बैठकों की तिथि एवं समय के सम्बन्ध में पृथक से अवगत कराया जाएगा। बैठकें निम्नानुसार आयोजित की जाएगीः-

1. मण्डलीय समीक्षा बैठकें वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएंगी।
2. मण्डलीय समीक्षा बैठकें सलग्नक में उल्लिखित विकास कार्यों विशेष रूप से निर्माण सम्बन्धित कार्यों पर की जाएंगी। विकास कार्यों के प्रारूप समस्त मण्डलायुक्तों/ जिलाधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किए जाएंगे।
3. मण्डलायुक्तों द्वारा अपने मण्डल के जनपदों की संकलित प्रगति पुस्तिका, बिन्दुवार स्वतः स्पष्ट टिप्पणी सहित तैयार कराकर कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के ई-मेल पर प्रेषित की जाएंगी।
4. मण्डल मुख्यालय के जनपद से मण्डलायुक्त मण्डलीय समीक्षा बैठकों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग करेंगे। इसी प्रकार मण्डल के अन्य जनपदों के जिलाधिकारी अपने-अपने जनपद से वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक में प्रतिभाग करेंगे। अन्य अधिकारी, जिन्हें जिलाधिकारी आवश्यक समझें, को बैठक में प्रतिभाग करने हेतु बुलाया जा सकता है।

2- मण्डलायुक्त अपने मण्डल से सम्बन्धित विकास कार्यों की अद्यतन स्थिति की संकलित प्रगति पुस्तिका, बिन्दुवार स्वतः स्पष्ट टिप्पणी सहित बैठक के 03 दिन पूर्व

http://shasan desh.up.nic in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के ई-मेल आई0डी0 wpkkvuplko@gmail.com पर अवश्य प्रेषित कराना सुनिश्चित करेंगे।

3- मण्डलायुक्तों द्वारा विकास कार्यों की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त तैयार कराकर प्रत्येक दशा में 02 दिन के अन्दर कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के उक्त ई-मेल आई0डी0 पर प्रेषित कराया जाएगा।

कृपया मण्डलीय समीक्षा बैठकों हेतु तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः- यथोपरि।

भवदीय

(कुमार कमलेश)

अपर मुख्य सचिव

संख्या-12/2020/408(1)/31-2020-47/2013-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)

सचिव।

संख्या-12/2020/408(2)/31-2020-47/2013-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. प्रधान निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)

सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संलग्नक

मण्डलीय समीक्षा हेतु एजेण्डा बिन्दु

क्र.सं.		एजेण्डा बिन्दु	नोडल विभाग
निर्माण सम्बन्धी विकास कार्य			
1	1.1	नई सड़कों का निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	लोक निर्माण
	1.2	ओ0डी0आर0/एम0डी0आर0/राज्य मार्गों के अनुरक्षण की स्थिति	
	1.3	सेतुओं का निर्माण	
	1.4	सड़कों को गड्ढामुक्त किया जाना (लोक निर्माण, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, मण्डी, नगर पालिका/निगम व प्राधिकरण आदि द्वारा)	
2	2	अधूरे निर्माण कार्य	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
3	3.1	अमृत योजना	नगर विकास
	3.2	स्मार्ट सिटी योजना	
	3.3	अपशिष्ट प्रबन्धन	
4	4	प्रधानमंत्री आवास योजना	नगर विकास/ग्राम्य विकास
5	5.1	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	ग्राम्य विकास
	5.2	मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	
6	6	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन (निर्माणाधीन/स्वीकृत ग्रामीण पाइप्ड पेयजल योजना)	नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति
8	8.1	50 लाख से अधिक लागत की अधूरी परियोजनाओं की स्थिति (सड़को को छोड़ कर)	नियोजन
	8.2	परियोजना का विवरण	
9	9.1	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/यूपीडा
	9.2	पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे	
	9.3	गोरखपुर-आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेस-वे	
	9.4	गंगा एक्सप्रेस-वे	
10	10	नए मेडिकल कालेजों/ AIIMS की स्थापना	चिकित्सा शिक्षा

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।